हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

चौदहवां सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 131

बुधवार, 9 मार्च, 2022/18 फाल्गुन,1943(शक्)

<u>सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख</u>

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्नः 4962, 4964 से 4972 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 4963 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया। तारांकित प्रश्न संख्याः 4973 से 5013 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2028 से 2065 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

<u>व्यवस्था का प्रश्न</u>

श्री राजेन्द्र राणा, सदस्य ने व्यवस्था के प्रश्न का हवाला देते हुए नगर परिषद बद्दी के नौ पार्षदों में से पांच पार्षदों ने 2 फरवरी, 2022 को अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उपायुक्त, सोलन को देने बारे मामला उठाते हुए बताया कि जिन पांच पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव दिया था उनमें से एक पार्षद श्री तरसेम चौधरी को नोटिस जारी होता है कि आपने लगातार तीन बैठकें अटेंड नहीं की है इसलिए क्यों न आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाए जबकि जिन तीन बैठकों का हवाला दिया जा रहा है उनमें से दो बैठकों में गणपूर्ति का अभाव था। यह सरासर भेदभाव है क्योंकि वार्ड न0-4 के पार्षद श्री संतोष ने लगातार चार बैठकें अटेंड नहीं की है और उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया है।

शहरी विकास मंत्री ने कहा कि बद्दी नगर परिषद में कोई अविश्वास प्रस्ताव आया है या कोई नोटिस किसी को गया है, यह बात उनके संज्ञान में नहीं है। यदि माननीय सदस्य इस विषय को नियम-62 के अन्तर्गत उठाते तो सारी सूचना की जानकारी लेकर सदन में बताई जा सकती थी। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले पर जानकारी प्राप्त करके माननीय सदस्य को अवगत करवा दिया जाएगा।

श्री परमजीत सिंह, सदस्य ने कहा कि दून विधान सभा क्षेत्र में इस मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य को मामले का पूरा पता नहीं है तथा उन्हें गलत फीडबैक दी गई है जबकि इस मामले में ऐसा कुछ नहीं है।

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने महात्मा गान्धी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत महात्मा गान्धी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सोशल लेखा प्रतिवेदन, वर्ष 2017-2018 व 2018-2019 (विलम्ब के कारणों सहित) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री सुख राम चौधरी, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री** ने संस्था अधनियम, 1860 के अन्तर्गत हिमऊर्जा (हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास

अभिकरण) हिमाचल प्रदेश का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-2021 की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

(1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति** (वर्ष 2021-22) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 210वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा आबकारी एवं कराधान विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का 211वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा आबकारी एवं कराधान विभाग से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का 212वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा आबकारी एवं कराधान विभाग से सम्बन्धित है।

(2) **कर्नल इन्द्र सिंह, सभापति, लोक उपक्रम समिति** (वर्ष 2021-22) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 53वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 18वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम सीमित से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का 54वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 13वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सावड़ा कुडडु हाईड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट से सम्बन्धित है ।

(3) **श्री रमेश चंद ध्वाला, सभापति, प्राक्कलन समिति** (वर्ष 2021-22) ने समिति का 21वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यों एवं आय-व्ययक प्राक्कलनों की संवीक्षा पर आधारित तथा महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्बन्धित की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मंत्री ने यूक्रेन में फंसे बच्चों की सकुशल घर वापिसी हेतु भारत सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों तथा काफी संख्या में छात्रों के स्वदेश पहुंचने बारे विस्तृत वक्तव्य दिया।

4. वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए बजट अनुमान - सामान्य चर्चा एवं समापन

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

1. श्री रोहित ठाकुर
2. श्री अरुण कुमार
3. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल

माननीय सदस्य द्वारा चर्चा के दौरान उनके चुनाव क्षेत्र में किसी भी प्रकार के काम न होने का ज़िक्र करने पर जल शक्ति मंत्री ने कहा कि वे स्वयं उनके क्षेत्र में जाकर जितनी भी स्कीम्ज चलाई गई हैं उनका निरीक्षण करेंगे और वहां पर आम लोगों से मिलकर उनको बतायेंगे भी कि उनके क्षेत्र में ये-ये काम किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में एक बहुत बड़ी स्कीम बनकर उद्घाटन के लिए तैयार है जिसके लिए माननीय मुख्य मंत्री से समय लेकर उद्घाटन करवाएंगे। इसके अतिरिक्त, वहां के लिए ए0डी0बी0 से भी एक बहुत बड़ी योजना स्वीकृत करवाई गई है जिसका उसी दिन माननीय मुख्य मंत्री के कर-कमलों द्वारा शिलान्यास करवाएंगे।

(1.10 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(भोजनावकाश के उपरान्त 02.15 बजे अपराह्न सदन की बैठक अध्यक्ष, श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

4. श्री रमेश चंद ध्वाला
5. श्रीमती आशा कुमारी
6. श्री बिक्रम सिंह जरयाल

(03.00 बजे अपराह्न कर्नल इन्द्र सिंह सभापति पदासीन हुए।)

7. डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल
8. श्री जवाहर ठाकुर
9. श्री अनिरूद्ध सिंह

(04.10 बजे अपराह्न अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

10. श्री राजेश ठाकुर
11. श्री विक्रमादित्य सिंह
12. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु

(05.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक 6.00 बजे अपराह्न तक बढ़ाई गई।)

अध्यक्ष द्वारा सूचना

"मैं सभी माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि आज दिनांक 09.03.2022 को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा मंत्रिमण्डल के माननीय सदस्यों तथा इस सदन के माननीय सदस्यों के सम्मान में 7.00 बजे होटल पीटरहॉफ में रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। अतः आप सभी सादर आमंत्रित हैं।"

मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष द्वारा यह पूछने पर कि 15 मार्च से 31 मार्च, 2022 तक और कितना कर्ज़ा लिया जाएगा, पर दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक व नारेबाजी हुई।

संसदीय कार्यमंत्री ने व्यवस्था के माध्यम से कहा कि यहां पर 49 माननीय सदस्यों द्वारा की गई चर्चा का उत्तर मुख्य मंत्री जी दे रहे हैं। लेकिन अगर बीच में टिप्पणियां करते जाएंगे तो उत्तर नहीं आएगा। यदि किसी सदस्य ने क्लैरिफिकेशन मांगनी है तो जब मुख्य मंत्री जी का उत्तर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद मांगी जा सकती है।

(माननीय मुख्य मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने 05.45 बजे अपराह्न सदन से बहिर्गमन किया।)

मुख्य मंत्री ने विपक्ष के बहिर्गमन को अनुचित बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की।

(6.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक 6.15 बजे तक बढ़ाई गई। तदुपरान्त 6.15 बजे अपराह्न बैठक 6.45 बजे तक बढ़ाई गई।)

माननीय मुख्य मंत्री ने उत्तर पूरा किया।

संसदीय कार्यमंत्री ने **माननीय मुख्य मंत्री** को बजट पर हुई चर्चा का विस्तृत उत्तर देने पर बधाई देते हुए कहा कि विपक्ष का रवैया विपक्ष के भी अनुरूप नहीं रहा है। अगर विपक्ष को बहिर्गमन करना है तो उत्तर सुनने के बाद अन्त में क्लैरिफिकेशन से संतुष्ट न होने पर बहिर्गमन कर सकते हैं लेकिन विपक्ष ने मर्यादाएं भंग करके और परम्पराओं के अनुरूप व्यवहार न करके जो बिना वजह सदन से बहिर्गमन किया है, उसकी कड़े शब्दों में निन्दा की जाती है।

माननीय अध्यक्ष ने पुनः सूचित किया कि माननीय मुख्य मंत्री द्वारा मंत्रिमण्डल के माननीय सदस्यों तथा इस सदन के माननीय सदस्यों के सम्मान में सायं 7.00 बजे होटल पीटरहॉफ में रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। अतः आप सभी सादर आमंत्रित हैं।

अपराह्न 06.30 बजे सदन की बैठक वीरवार, 10 मार्च, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।